

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
 सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।
 2. उपाध्यक्ष,
 विकाश प्राधिकरण,
 लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग—4

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फी—होल्ड के संबंध में सड़क विस्तार से प्रभावित भूमि तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ पट्टों के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आवास अनुभाग—4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 367/9—आ—4—99—704एन/97 दिनांक 25 जनवरी, 1999 के क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश के प्रस्तर 3 में कृषि एवं बागवानी के साथ अन्य समतुल्य की पट्टागत भूमि भी सम्मिलित है। अर्थात् “कृषि एवं बागवानी के स्थान पर” “कृषि एवं बागवानी एवं अन्य समतुल्य श्रेणी” तथा “भू—उपयोग (कृषि/बागवानी)” के स्थान पर “भू—उपयोग (कृषि/बागवानी/अन्य समतुल्य)” पढ़ा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
 सचिव

संख्या—906(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). प्रमुख सचिव, लोक निर्माण / सचिव, नगर विकास / सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (3). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (4). मुख्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5). समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

राज कुमार सिंह
 अनु सचिव